Press Clippings

Press Information Bureau Govt. of India, Shimla		
Name of the Newspaper	Dainik Jagran	
Dated	27-08-2021	Language- Hindi

प्रवासी व असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का पंजीयन शुरू

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: प्रवासी व असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों का पंजीयन गुरुवार से शुरू हो गया। इसके लिए केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने ई-श्रम पोर्टल लांच कर दिया है। पंजीयन कराने के लिए श्रमिकों को अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर और बैंक खाता नंबर देना होगा। पंजीयन पूरी तरह से मुफ्त होगा और श्रमिक कामन सर्विस सेंटर पर जाकर भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। घर में काम करने वालों से लेकर 10 से कम कर्मचारी वाली संस्था से जुड़े श्रमिक भी इस पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकेंगे। पंजीयन कराने वालों को यूनिवर्सल अकाउंट नंबर जारी किया जाएगा।

एक मोबाइल नंबर से चार श्रमिकों का पंजीयन हो सकेगा। फिलहाल ई-श्रम पोर्टल पर पंजीयन कराने वाले श्रमिकों को दो लाख रुपये का दुर्घटना बीमा लाभ दिया जाएगा, जो एक साल के लिए मान्य होगा। एक बार पंजीकृत होने वाले श्रमिकों के पास हर साल मैसेज आएगा और उसे यस करने पर उनका पंजीयन अपडेट होता रहेगा। श्रमिकों की मदद के लिए टोल फ्री काल सेंटर भी गुरुवार से शुरू कर दिया गया। फिलहाल काल सेंटर हिंदी और अंग्रेजी भाषा में काम करेगा और जल्द ही उसे आठ क्षेत्रीय भाषा में शुरू किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि फिलहाल देश के लगभग 38 करोड़ असंगठित और प्रवासी श्रमिकों का डाटाबेस तैयार करना है ताकि भविष्य में उन्हें सामाजिक सुरक्षा से जुड़े सभी प्रकार के लाभ मिल सकें। उन्होंने बताया कि अभी 400 से अधिक प्रकार के कार्यों को असंगठित क्षेत्रों में रखा गया है। सभी राज्यों को अपने-अपने राज्यों में काम करने वाले श्रमिकों का पंजीयन इस पोर्टल पर करने के लिए कहा गया है।